

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

सं० ए- 36012/1/2013/केहिप्रसं/ 1682

दिनांक :- 10/07/2023

कार्यालय आदेश

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना के विभागाध्यक्ष के रूप में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियमावली 1978 के नियम 14 का प्रयोग करते हुए श्री नरेन्द्र कुमार प्रसाद, उप निदेशक (टंकण / आशुलिपि) को स्थायी प्रबंध होने तक तत्काल प्रभाव से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के कार्यालयाध्यक्ष की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती हैं। श्री नरेन्द्र कुमार प्रसाद, उप निदेशक (टंकण / आशुलिपि) अपने नेमी कार्यों के अतिरिक्त कार्यालयाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे।


(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. श्री नरेन्द्र कुमार प्रसाद, उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना मध्योत्तर का कार्यालय, नई दिल्ली।
3. सलाहकार (प्रशासनिक अधिकारी), केहिप्रसं, नई दिल्ली।
4. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक (पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/पूर्वोत्तर/मध्योत्तर/परीक्षा) हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता / मुंबई/चेन्नै/गुवाहाटी/नई दिल्ली।
5. संयुक्त निदेशक (टंकण / आशुलिपि) केहिप्रसं., नई दिल्ली।
6. उप निदेशक (कार्यशाला / भाषा पत्राचार), केहिप्रसं, नई दिल्ली।
7. उप निदेशक (टंकण पत्राचार), केहिप्रसं, नई दिल्ली।
8. सहायक निदेशक एवं डीडीओ, केहिप्रसं, नई दिल्ली।
9. सहायक निदेशक (मु.), केहिप्रसं / हिशियो, नई दिल्ली।
10. केयर टेकर, केहिप्रसं, नई दिल्ली।
11. निजी मिसिल / गार्ड फ़ाइल हेतु।